



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बीकानेर में शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 10 अगस्त, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अमरजीत परिहार शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा बज्जू, बीकानेर को परिवादी से 30 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके परिजन के नाम से के.सी.सी. की पत्रावली स्वीकृत करने की एवज में अमरजीत परिहार शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा बज्जू, बीकानेर द्वारा 60 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, बीकानेर के पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार विश्‍नोई के सुपरवीजन में बीकानेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश पूनिया के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री आनन्द मिश्रा एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अमरजीत परिहार पुत्र श्री रामदेव परिहार निवासी ग्राम कोलासर, तहसील व जिला बीकानेर हाल निवासी ई-145, कान्ता कथूरिया कॉलोनी, बीकानेर हाल शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा बज्जू, बीकानेर को परिवादी से 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।